

कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

--: प्रारंभिक अधिसूचना :-

क./ 7904 भू-अर्जन/201910050400011 अ 82/2023

कोरबा, दिनांक 02/06/23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	बरपाली	पकरिया 16	167/1	0.086	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग कोरबा	बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत अर्जित भूमि
			212/1	0.024		
			213/1	0.016		
			228/1	0.085		
			167/2	0.105		
			228/2	0.085		
			167/3	0.080		
			213/3	0.012		
			228/3	0.020		
			238/6	0.008		
			168/2	0.045		
			169	0.020		
			170/1	0.065		
			170/2	0.028		
			171/4	0.009		
			174	0.008		
			176	0.076		
			211	0.216		
			214	0.014		
			213/4	0.012		
			238/7	0.024		
			236/1क/1	0.121		
			236/1क/2	0.009		
			236/1ग/1	0.010		
236/1ग/2	0.012					
236/1ख	0.008					
236/2	0.036					
227/1	0.014					
227/2	0.010					
235/3	0.004					
235/4	0.019					
238/11	0.006					
238/12	0.003					
238/13	0.003					
योग			34	1.292		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का मूल्यांकन (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित अर्जेशन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक सहायता अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अतिरिक्त विकल्प के साथ से किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक सहायता की सुरक्षा से सामाजिक लाभ अतिरिक्त होने वाला नहीं है।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिसूचना 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरवा जिला कोरवा के मुख्यालय और मुख्यालयवाहन के माध्यम से निम्नलिखित किया गया है।

उत्पीठन के राजस्व के नाम से तथा आदेशानुसार



(संजीव कुमार झा)

कार्यपालक

जिला कोरवा

एच एच डी एच एच

छ प राजस्व

राजस्व एवं आयकर प्रशासन विभाग



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एच एच डी एच एच अधिकारी
कोरवा, जिला-कोरवा